समाहरणालय, मुंगेर

(जिला आर्पूत्ति शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 04/(बजट) दिनांक 19.04.2012 द्वारा मुख्य शीर्ष 3456 सिविलपूर्ति-लघुशीर्ष-001 निदेशन और प्रशासन, मांग सं0-18 उपशीर्ष-0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0-N-3456000010002, गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 के पूरे वर्ष (01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक) व्यय हेतु वेतनादि एवं अन्य मदों में प्राप्त आवंटन में से निम्नलिखित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को तालिका "क" एवं "ख" में नाम के सम्मुख अंकित राशि उपावंटित की जाती है।

तालिका "क"

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदा0 का पदनाम	वेतन	जी0या0 भत्ता	मकान भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	योग	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जिला आपूर्ति पदा0, मुंगेर	1900000.00	1250000.00	200000.00	30000	1000.00	3381000.00	
2.	अनुमंडल पदा0 सदर, मुंगेर	600000.00	400000.00	200000.00	10000	700.00	1210700.00	
	कुल :-	2500000.00	1650000.00	400000.00	40000.00	1700.00	4591700.00	

(कुल मो0 पैंतालीस लाख एकानवे हजार सात सौ रूपये मात्र।)

तालिका "ख"

क्र0	निकासी एवं व्ययन पदा0 का पदनाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	वर्दी	विद्युत	योग	अभ्युक्ति
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	जिला आपूर्ति पदा0, मुंगेर	10000.00	-	5000.00	-	-	15000.00	
2.	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर, मुंगेर	5000.00	-	4000.00		-	9000.00	
3.	उप समाहर्त्ता, प्रभारी जिला नजारत, मुंगेर	-	25000.00	-	3700.00	10000.00	38700.00	
	कुल :-	15000.00	25000.00	9000.00	3700.00	10000.00	62700.00	

(कुल मो0 बासठ हजार सात सौ रूपये मात्र)

(1) यह राशि मुख्य शीर्ष 3456 सिविल पूर्ति लघुशीर्ष 001 निदेशन और प्रशासन उपशीर्ष 0002 जिला प्रभार विपत्र कोड सं0-N-3456000010002,मांग सं0-18 (गैर योजना) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में विकलनीय होगा।

(2) यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक 405 दिनांक 25.06.2006 पत्रांक 406 दिनांक 25.05.08 एवं पत्रांक 411 दिनांक 20.06.07 के आलोक में व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा एतद् संबंधी समय-समय पर निर्गत पत्रों/परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

(4) इस आवंटन से न्यायिक मामलों से संबंधित वादों एवं सेवा निवृत्त आपूर्ति पदाधिकारी/कर्मचारी के बकाया वेतनादि/षष्ट्म वेतन पुनरीक्षण लागू हो जाने के फलस्वरूप नये वेतनमान यथा 01.01.2006 के प्रभाव से हुए वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप औपबंधिक/अंतिम रूप से पुनरीक्षित वेतन भुगतान के निमित/अन्य वेतनादि का भुगतान लंबित हो तो तुरंत भुगतान कर विभाग को सूचित करेगें, ताकि वैसे मामलों में न्यायालय वाद का सामना नही करना पड़े।

(5) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि प्रत्येक माह में निकासी एवं व्ययन की गई राशि की इकाईवार विवरणी निर्धारित प्रपत्र 'क' एवं 'ख' में अगले माह की 10 वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करा दें। व्यय विवरणी विहित प्रपत्र में विभाग को उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में व्यय संबंधी किसी भी गड़बड़ी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेवार होगे तथा साथ ही अगला आवंटन एवं निकासी पर भी रोक लगा दी जायेगी।

(6) इस आवंटन से नियमित वेतनादि के भुगतान के साथ-साथ यदि किसी कर्मचारी/पदाधिकारियों का बकाया वेतनादि लंबित हो तो उसका भी भुगतान ससमय सुनिश्चित करेगें।

(7) इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(8) वर्ष के शेष अवधि के लिए यदि राशि की आवश्यकता हो तो विस्तृत ब्यौरा के साथ विभाग में निश्चित रूप से आवंटन मांग पत्र प्रेषित किया जाय ताकि ससमय आवश्यक कार्रवाई किया जा सकें।

जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 380/नि0आ0, दिनांक 11.05.2012

प्रतिलिपि :- जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पदाधिकारी सदर मुंगेर/उप समाहर्त्ता प्रभारी, जिला नजारत, मुंगेर /कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/05/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 380/नि0आ0, दिनांक 11.05.2012

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी (NIC), मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 10/05/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।